

थाना कंधरापुरगैगेस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह को मुखबीर खास ने सूचना दिया गया कि गैगेस्टर एक्ट उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज राय पुत्र स्व० लालजी राय निवासी किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ जो प्रभात रन्जन राय के घर के सामने ग्राम विजौरा में मौजूद है जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम ग्राम विजौरा पहुंची तो अभियुक्त ने देखकर भागने का प्रयास किया। अभियुक्त को दौडाकर पकड लिया गया। जिसकी पहचान पंकज राय पुत्र स्व० लालजी राय निवासी किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ बताया।

अभियुक्त विवेक राय पुत्र स्व० रामउग्रह नि० किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) ने अपने सह अभियुक्तो/ सदस्यों

1. सन्तोष पाल पुत्र प्रभुनारायन पाल नि० किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. अम्बुज राय उर्फ डोली राय पुत्र स्व० लालजी राय नि० किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
3. पंकज राय पुत्र स्व० लालजी राय नि० किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
4. बन्टू सिंह उर्फ ओम प्रकाश सिंह पुत्र रामजनम सिंह साकिन शिशवा थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया है जो सक्रिय है। गैंग लीडर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए योजना बनाकर गोली मारकर हत्या करना जैसा अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के आतंक एवं भय से जनता का कोई भी व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट लिखवाने तथा इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं करता है।

दिनांक 29.06.2021 को वादी राजेश सरोज (मृतक) पुत्र स्व० गामा सरोज साकिन किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ को चुनावी रंजिस के कारण, जब वादी RTO आफिस के पास से अमित कुमार से 20 हजार नगद रुपये लेकर अपनी मोटर साइकिल से वापस घर जा रहा था तो उपरोक्त लोग, जो नियोजित तरीके से घात लगाकर गाड़ी सफारी नं. UP 50 AP 0333 से ग्राम चकबिलीदा के पास हाईवे पर वादी को समय 06 बजे सायं पकड़ लिए और मोटर साइकिल को धक्का देकर गिरा दिया तथा अपने गाड़ी से हाकी राड निकाल कर सभी लोग जाति सूचक व भद्दी भद्दी गालिया देते हुए जान लेवा हमला कर दिये। हाकी राड से बुरी तरह मारे पीटे। जिस सम्बन्ध मे वादी द्वारा तहरीर पर थाना सिधारी में दिनांक 30.06.2021 मु०अ०स० 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 बनाम अम्बूज राय, पंकज राय, विवेक राय, सन्तोष पाल व धनन्जय सिंह व दो अन्य व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगैस्टर एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगैस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 थाना सिधारी
3. मु0अ0सं0 163/2015 धारा 342/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे
2. हे0का0 सुरेश सिंह

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जीयनपुर

शादी का झासा देकर बालात्कार करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण – दिनांक- 25/02/2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ शिकायत किया गया था कि अभियुक्त सागर यादव पुत्र महेन्द्र यादव नि0सुजाबाद थाना रामनगर जनपद वाराणसी वादिनी को शादी का झासा देकर बलात्कार किया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0-124/2023 धारा 376 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 26.02.2023 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबीर खास के सूचना के अधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सागर यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी सुजाबाद थाना रामनगर जनपद वाराणसी को सगडी तहसील के पास से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0-124/2023 धारा 376 भादवि थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त - सागर यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी सुजाबाद थाना रामनगर जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली टीम–1. SHO यादवेन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

2. का0 शैलेन्द्र थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

3. म.का. अन्नू यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

**प्रेस नोट**  
**थाना बिलरियागंज**  
**नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना -**

दिनांक 25.02.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी अन्तोष गोड़ पुत्र त्रिवेणी गोड़ निवासी ग्राम शेखूपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने वादी के लडके को बहला फुसलाकर पैसो का लालच देकर घर से सिवान में ले जाकर अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 087/23 धारा 377/504 भादवि व 5(ड़)/ 6 पास्को एक्ट बनाम अन्तोष गोड़ पुत्र त्रिवेणी गोड़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 26.02.2023 को थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अन्तोष गोड़ पुत्र त्रिवेणी गोड़ को जैगहा बाजार समय करिब 07:50 बजे गिरफ्तार कर अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

**अभियुक्त का नाम व पता-**

अन्तोष गोड़ पुत्र त्रिवेणी गोड़ निवासी ग्राम शेखूपुर बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 087/23 धारा 377/504 भादवि व 5(ड़)/ 6 पास्को एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. का0अफताब आलम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 धीरज त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।